

अज अदालत

सहायक कलक्टर
वायतु

मुकाम

इंजाराण

बनाम




पट्टलाराम बन्धु वंशी

किस्म मुकदमा

वा. नं. 128 RURA

नं. 283/17

सन्. 2017

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 24/11/2017 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>वैजाराण जायस</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>128 RURA</u></p> <p>राजस्थान काशतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>13/12/17</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (SDO) वायतु</p> | |
| 13/12/17 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गण</p> <p>के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे</p> <p>शामिल पत्रावली किया गया। नमान</p> <p>पीठासीन अधिकारी कक्ष में पत्र</p> <p>डुए डे। तल: मिशाल इल्लव डेडर</p> <p>तामिली दिनांक 03/01/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> | |
| 03/01/18 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गण</p> <p>वाकजुड तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी वकील</p> <p>ने पत्रावली अकेडन पर बडस आईना डरना</p> <p>चाहते हो अकसर दिनांक जाडर पत्रावली आईना</p> <p>दिनांक 12/02/2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (SDO) वायतु</p> | |

12/02/18

पार्थी वहील उपस्थित। विद्यार्थीगण अनुण।
पार्थी के अधिवक्ता की एडप्लीय वदम सुनी
गई, पार्थी के अधिवक्ता ने बलया भी पार्थी के
सपने प्यालेसरी घेतों के चारों ओर पक्के नेषम
स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए पार्थी का
नेषमबन्दी कावेदन स्वीकार किया जाउर नेषमबन्दी
शोदेश दिया जावे। इतल: पार्थी का नेषमबन्दी
कावेदन स्वीकार किया जाउर लहमीलणर वाधुतु के
डोमिकानर नियुक्त किया जाला है व शोदेश दिया
जाला है कि काय स्वमं या सपने अधिनस्थ किमी
भी भू० सम्मिलेध निरिधतु ले पार्थी के प्यालेसरी
घेतों की पक्की नेषमबन्दी मोडे पर मुलुतु जमा-
उठाउर उदे, पालनर रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली पैसल सुमार ही दर्ज नम्बर
से उम हो, दाखिल इधतर ही।


सहायक कमिश्नर (SDO)
बायड

07/05/बायड/2018
प्राप्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/62
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक - 12.2.18

1. डूंगराराम पुत्र आईदानराम वगैरा 2 जाति जाट निवासी बायतु चिमनजी तह. बायतु जिला बाडमेर

1. प्रहलादराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 17 निवासी बायतु चिमनजी तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 283/17

आदेश

मौजा बायतु चिमनजी पटवार हल्का बायतु चिमनजी के खेत खसरा नम्बर 873/361, 993/588, 996/590, 998/590, 1001/590, 1015/615, 1017/615 रकबा क्रमशः 44.02, 19.04, 04.00, 13.10, 26.04, 41.06, 27.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु का कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू-अनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर कर तथा अपेक्षित हान पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता



सहायक डी.सी. (SDC)
(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक - 12.2.18

क्रमांक/वाद/2018/63-67

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री डूंगराराम पुत्र आईदानराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री प्रहलादराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 17।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु